16 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट)/श्रेडों के निपटान हेतु मुहरबंद दरें आमंत्रित किए जाने की सूचना

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक श्रेडेड बैंक नोटों के **ब्रिकेटों (ईंटें) के निपटान हेतु प्रतिष्ठित पक्षकारों से मुहरबंद लिफाफों में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करती हैं जिनके ऊपर 16/05/2015 से 31/03/2016 तक की अवधि के लिए श्रेडेड बैंक नोटों के ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट)/श्रेडों के निपटान हेतु निविदा लिखा हो तथा वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 के पते पर भेजी जाएं ताकि वे 13 मई 2015 को भारतीय मानक समयानुसार अपराह्न 02:00 बजे से पहले पहुंच जाएं। फैक्स एवं ई-मेल से प्रेषित निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा फार्मों सहित अन्य सामान्य शर्तें एवं निबंधन उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in **पर निविदा सूची के अंतर्गत) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।**

2. विधिवत मुहरबंद निविदा को निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 में रखी निविदा पेटिका में जमा किया जा सकता है। कोई निविदा **13 मई 2015** को भारतीय मानक समयानुसार अपराह्न 02:00 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. निविदा बैंक के सक्षम प्राधिकारी, निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहते हों, की उपस्थिति में **13 मई 2015 को अपराह्न 03:00 बजे** खोली जाएगी।

4. बैंक उच्चतम अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ

श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों)/श्रेडों के निपटान हेतु निविदा
निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला ब्योरा

क्रमांक	विवरण	ब्योरा
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	पता	
3	दूरभाष संख्या (लैंडलाइन संख्या)	
4	मोबाइल संख्या	
5	फैक्स संख्या	
6	ई-मेल पता	
7	आयकर स्थायी खाता संख्या (कृपया फोटोप्रति प्रस्तुत करें)	
8	टैन (कृपया फोटोप्रति प्रस्तुत करें)	
9	वैट पंजीकरण संख्या	

10	सीएसटी पंजीकरण संख्या	
11	बिक्री कर पंजीकरण संख्या.	
10	निविदाकर्ता का गठन (कृपया मेमोरैंडम/आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन, साझेदारी विलेख आदि का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करें)	
11	स्वत्वाधिकारी/साझेदारों/निदेशकों के नाम (कृपया समर्थन में मेमोरैंडम/आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन, साझेदारी विलेख आदि तथा पैन संख्याओं का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करें)	
12	आवेदक/विक्रेता का वार्षिक टर्न-ओवर/व्यवसाय:	
13	पिछले दो वर्षों का आयकर विवरणी: (कृपया दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करें)	
14	बैंकरों का ब्योरा	
i	बैंक का नाम	
ii	शाखा का पता तथा शाखा की दूरभाष संख्या	
iii	खाता की प्रकृति/प्रकार	
iv	खाता संख्या	
15	जमा धरोहर राशि का ब्योरा	
i	मांग जमा/बैंकर चेक/बैंक गारंटी की संख्या	
ii	राशि (संख्याओं एवं शब्दों में)	

iii	बैंक का नाम	
Iv	शाखा का नाम	
v	शाखा का पता	
vi	शाखा की दूरभाष संख्या	

16. श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों) की खरीद के लिए उद्धृत दरें

मद	इकाई	रुपए में प्रति यूनिट कीमत (अंकों में)	रुपए में प्रति यूनिट कीमत (शब्दों में)
श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट)	प्रति किलोग्राम		

17. उन संस्था/संस्थाओं का ब्योरा जहां इसी प्रकार की निविदाएं की जा चुकी हैं या की जा रही हैं:

क्रमांक	संस्था का नाम	पता	दूरभाष संख्या

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ता के लिए सामान्य निर्देशों एवं विशेष शर्तों तथा मानक समझौते की विषयवस्तु को पढ़कर समझ लिया है और उसे स्वीकार करते हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया विवरण/सूचना सत्य है।

प्राधिकृत कार्मिक के हस्ताक्षर ______________________________

पता____

मुहर

स्थान:

दिनांक:

साक्ष्य:

1. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

स्थान:

दिनांक:

निविदा फॉर्म

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

महोदय,

श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों)/श्रेडों का निपटान

1. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य के दायरे एवं निर्दिष्ट सेवाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, निविदा प्रभाव ड़ालने वाली अपेक्षित सूचनाएं भी हासिल की हैं। हम ज्ञापन में उल्लिखित कार्य एवं सेवाओं को निर्दिष्ट समय में तथा निविदाकर्ताओं को दिए गए सामान्य अनुदेशों में लिखित रूप से दिए गए कार्य के दायरे, विनिर्देश तथा अनुदेशों एवं विशेष शर्तों के अनुसार तथा अन्य कोई ऐसी सामग्री जिसका उल्लेख किया गया हो एवं लागू हर पक्ष से संबंधित अन्य शर्तों के मुताबिक निष्पादित करने को सहमत हैं।

ज्ञापन

क.	विवरण	“जैसा है जहां है के आधार पर” एवं “बिना शिकायत के आधार पर” बड़ी मात्रा में (कैलेंडर वर्ष 2014 में लगभग 494250 किलोग्राम ब्रिकेटों का निपटान किया गया।) श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों)/श्रेडों का निपटान।
ख.	बयाना राशि	रु.20,000/- (रु.बीस हजार मात्र)
ग.	जमानत जमाराशि	रु.50,000/- (रु.पचास हजार मात्र)

2. हम इससे भी सहमत हैं कि निविदा खोले जाने की तारीख से 90 दिन तक यह बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेगी एवं वैधता की यह अवधि लिखित रूप से बैंक एवं हमारे बीच हुई

सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। हम निविदा की वैधता की संपूर्ण अवधि के दौरान बयाना राशि रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. अगर हमारी यह निविदा स्वीकार की जाती है तो हम निविदा की शर्तों का पालन करने एवं इन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं तथा इसमें चूक करने की स्थिति में आपको या आपके उत्तराधिकारी या समुनदेशिती या नामिती को निविदा स्वीकार करने की लिखित सहमति के साथ-साथ निविदा में उल्लिखित शर्तों में निर्धारित राशि को भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।

4. मैं/हम यह भी समझते हैं कि आपको (भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए आंशिक या पूर्णत: स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार है।

दिनांक _____ माह _____ 2015.

मैसर्स ___________________________________ के लिए एवं कृते

(हस्ताक्षर सहित मुहर)

नाम ______________________________________

पदनाम ______________________________________

(उक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामे की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

गवाह

(1) हस्ताक्षर ________________________________

नाम पता तथा दिनांक

____

____

(2) हस्ताक्षर ________________________________

नाम पता तथा दिनांक

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश तथा विशेष शर्तें

1. निविदा निर्धारित प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में भरकर प्रस्तुत की जाए जिसके ऊपर "श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों)/श्रेडों के निपटान हेतु 16/05/2015 से 31/03/2016 की अवधि हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए तथा उसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पते पर भेजा जाना चाहिए तथा उसे **13 मई 2015 को भारतीय मानक समयानुसार अपराह्न 02:00 बजे** से पहले पहुंच जाना चाहिए। फैक्स तथा ई-मेल से भेजी गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुहरबंद लिफाफे पर निविदाकर्ता का पूरा नाम, पता, ई-मेल पता एवं टेलीफोन/मोबाइल संख्या लिखा होना चाहिए।

2. विधिवत मुहरबंद निविदा निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 में रखी गई निविदा पेटी में भी जमा की जा सकती है। निर्धारित समय एवं तारीख के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. निविदाओं की सभी प्रतियां हर प्रकार से पूरी होनी चाहिए और उनके साथ सभी अनुलग्नक/संलग्नक/अनुबंध लगे होने चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज गायब या बिना हस्ताक्षर के होगा तो बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से निविदा को अवैध माना जाएगा।

4. निविदा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी एवं हिंदी में भारी जाए तथा सभी प्रविष्टियां हाथ से बाल पेन से भरी जाएं।

5. निविदा दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाए जिसमें निम्नलिखित निहित हों:

(i) निर्धारित प्रारूप में निविदाकर्ता का परिचय;

(ii) शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकृति;

(iii) डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक द्वारा रु.20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) की बयाना जमाराशि जो भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में देय हो। बैंक गारंटी के रूप में जमा बयाना जमाराशि (अनुबंध I) में दिए गए प्रारूप के अनुसार) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी प्रारूप में हो तथा वह निविदाओं को खोलने की अंतिम तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होगा।

(iv) कंपनी/ फर्म के मामले में निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम से कंपनी/फर्म की मुहर सहित मुख्तारनाम/प्राधिकार;

(v) कोई अन्य सूचना जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहे।

(vi) दरें केवल भारतीय रुपए में होनी चाहिए जिनका प्रारूप के अनुसार अंकों एवं शब्दों दोनों में कीमत का विस्तृत अंश (ब्रेक-अप) होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट के टुकड़े) की प्रति किलोग्राम कीमत का उल्लेख करना चाहिए जो वे बैंक को प्रस्तावित कर रहे हैं। उद्धृत दरों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया कोई कर, शुल्क, लेवी शामिल नहीं है। श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट)/श्रेडों के निपटान पर सरकार/स्थानीय प्राधिकारणों द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कर/शुल्क/लेवी का वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। ब्रिकेटों को उठाकर ले जाने में बैगों, मजदूरों तथा परिवहन का खर्च निविदाकर्ता वहन करेगा।

6. निविदाएं बैंक के सक्षम प्राधिकारी तथा निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहेंगे, की उपस्थिति में 13 मई 2015 को अपराह्न 03:00 बजे खोली जाएंगी।

7. बैंक किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसके पास कोई एक अथवा सभी निविदाओं को संपूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता मसौदा करार के अनुसार एक सप्ताह के भीतर तथा उद्धृत दरों पर एक करार/संविदा पर हस्ताक्षर करेगा। तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक तथा निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी निविदा शामिल होगी, भले ही बाद में इस प्रकार का कोई औपचारिक करार निष्पादित किया जाए या नहीं।

9. निविदा की अवधि **16 माई 2015 से 31 मार्च 2016** तक की अवधि के लिए होगी जिसे निविदाकर्ता की सहमति से एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का विकल्प बैंक के पास होगा।

10. सफल निविदाकर्ता को अनिवार्य रूप से बैंक के पास **रु.50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) की जमानत राशि** जमा करनी होगी जिसे बिना किसी ब्याज के निविदा की अवधि पूरी होने के पश्चात

लौटा दिया जएगा। तथापि, बैंक को निविदाकर्ता के किसी बकाया/हानिपूर्ति की वसूली के लिए जमानत की राशि को आंशिक या पूर्णत: विनियोजित करने का अधिकार होगा। जमानत राशि नकद, सावधि जमा या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (अनुबंध II में दिए गए प्रारूप के अनुसार) के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। सावधि जमा बैंक को विधिवत उन्मोचित तथा सुपुर्द होनी चाहिए जिसके साथ एक सुपुर्दगी पत्र होना चाहिए जिस पर सुपुर्दगी के प्रयोजन का उल्लेख किया गया हो। बैंक गारंटी में संपूर्ण संविदा अवधि कवर होनी चाहिए।

11. सफल निविदाकर्ता को सप्ताह में दो बार या उससे भी पहले कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार) को पूर्वाह्न 09:30 अपराह्न 05:30 बजे के बीच आवश्यक भुगतान करके नोट ब्रिकेटों को उठाना/एकत्र करना होगा जिसके न होने पर बैंक को जमानत की राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

12. ब्रिकेट से भरे बैग का वजन उसकी सुपर्दगी के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि के सामने तौला जाएगा। ब्रिकेटों के बैंक परिसर से बाहर चले जाने के बाद वजन में किसी भी प्रकार की विसंगति के संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जागा।

13. ब्रिकेट से भरे बैगों को बैंक परिसर से इस प्रकार उठाया तथा हटाया जाएगा कि किसी भी समय ब्रिकेटिंग क्षेत्र में 12500 किग्रा से अधिक श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेट (संपीडित गंदे नोट)/श्रेड की ढेर नहीं लगनी चाहिए। 12500 किग्रा. से अधिक की ढेर लगने पर बैंक चाहे तो उसे उठाने तथा बैंक परिसर के बाहर ले जाने तक रु.500/- प्रति दिन के हिसाब से प्रभार लगा सकता है।

14. सफल निविदाकर्ता को निर्धारित कार्यालय के कार्यकाल के भीतर स्वयं द्वारा खरीदे गए ब्रिकेटों की सुपुर्दगी को लेनी होगी एवं किसी भी स्थिति में बैंक निविदाकर्ता को कार्यालय के कार्यकाल के बाद सुपुर्दगी को ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

15. सफल निविदाकर्ता किसी अक्षमता, अकुशलता, लापरवाही या वस्तुओं को ले जाने में चूक या देरी अथवा बेईमानी के कृत्य अथवा उसके या उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी के कपटपूर्ण व्यवहार के कारण किसी प्रकार की क्षति या हानि की भरपाई या उसकी प्रतिपूर्ति करेगा। इस प्रकार की किसी भी क्षति का बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन अंतिम होगा तथा निविदाकर्ता को यथोचित नोटिस देने के बाद उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए जाने के बाद यह बैंक के पास रखी जमानत राशि से देय/समायोजनीय होगी।

16. ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोट) का निपटान/उपयोग पर्यावरण-हितैषी ढंग से किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता को इस आशय का एक प्रमाणपत्र/वचनपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त, निविदाकर्ता ब्रिकेटों को किसी तीसरे पक्षकार को बेचता/सुपुर्द करता है तो उसे उसका नाम एवं पता प्रस्तुत करना होगा।

17. बैंक ठेकेदार को दो महीने की नोटिस देकर करार/संविदा समाप्त कर सकता है। यदि निविदाकर्ता करार/संविदा को समाप्त करना चाहता है तो उसे बैंक को दो महीने की नोटिस देनी होगी। दो महीने की नोटिस अवधि के दौरान ब्रिकेटों का संग्रह करना निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा भले ही समाप्ति के लिए नोटिस का स्रोत कुछ भी हो।

18. ठेकेदार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/प्रणालियों/उपस्कर आदि से संबंधित किसी भी सूचना, सामग्री तथा उसके ब्योरे को किसी तीसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा जो इस करार से संबंधित संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के दौरान उसके कब्जे या जानकारी में आया हो तथा वह उन्हें हमेशा कड़े विश्वास में बनाए रखेगा। ठेकेदार ठेके के ब्योरे को करार की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए जरूरी सीमा तथा लागू विधियों के अनुपालन को छोड़कर निजी एवं गोपनीय समझेगा। ठेकेदार कार्य के किसी विवरण को किसी ट्रेड या तकनीकी पत्र या अन्यत्र बैंक की पिछली लिखित सहमति के बिना प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा अथवा प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण से बैंक को हुई किसी भी प्रकार की क्षति को पूरा करेगा। उपर्युक्त का पालन न किए जाने को ठेकेदार द्वारा संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक को नुकसान का दावा करने तथा कानूनी उपचार शुरू करने का अधिकार होगा।

19. ठेकेदार इस करार के अंतर्गत गोपनीय सूचना को प्रकट न करने की बाध्यातओं को संपूर्ण रूप से पूरा किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी समुचित कार्रवाई करेगा।

20. अप्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की बाध्यताएं किसी भी कारण इस करार की अवधि समाप्त होने या समाप्ति के बाद भी जारी रहेंगी।

21. जब कभी ठेकेदार 20 से अधिक कामगारों को ठेका मजदूर के रूप में नियोजित करता है तो उसे ठेका मजदूर (विनियम तथा निर्मूलन) अधिनियम के उपबंधों तथा इस करार के निर्वाह के दौरान समय-समय पर लागू अन्य सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त तथा मोचित रख सकेगा।

22. **बीमा:** सफल निविदाकर्ता एक वर्ष के लिए कार्य से जुड़े कामगारों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति नीति के संविदा मूल्य के लिए ठेकेदार सभी जोखिम पॉलिसी लेगा जिसकी अवधि एक साल के लिए नवीकृत कर दी जाएगी यदि बैंक द्वारा ठेकेदार को नवीकृत कर दिया जाता है। ठेकेदार भवन में काम करने के दौरान व्यक्तियों तथा तीसरे पक्षकार को होने वाली हानि तथा नुकसान का मोचन बैंक को करेगा। ठेकेदार सभी जोखिम पॉलिसी की तृतीय पक्षकार देयता तथा कामगार क्षतिपूर्ति किसी एक दुर्घटना या घटनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम **रु.** 2.0 लाख होगी। ये बीमा पालिसियां संविदा अवधि तक वैध होंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियां नहीं प्रदान नहीं करता है तो बैंक के पास उपर्युक्त सभी बीमा पॉलिसियां स्वयं लेने तथा उसकी लागत को ठेकेदार के बिल से वसूल करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

23. **यौन उत्पीड़न:** ठेकेदार/एजेंसी “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निदान) अधिनियम, 2013” के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। यदि बैंक में ठेकेदार के कर्मचारी के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को कथित अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त समिति को भेजी जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

निविदा का मूल्यांकन

24. निविदाओं का मूल्यांकन इस करार में निर्धारित कार्य के दायरे के अनुसार उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा।

25. निविदाकर्ता निविदा की अवधि के दौरान श्रम अधिनियम के उपबंधों तथा इसी प्रकार की लागू विधियों, विनियमों आदि का पूरी तरह पालन करेगा जिसका उचित अनुपालन उसके लिए अपेक्षित होगा। निविदाकर्ता क्षेत्रीय श्रमायुक्त द्वारा यथापेक्षित सभी रजिस्टर बनाए रखेगा तथा उन्हें जब जरूरत हो तब बैंक या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

26. निविदाकर्ता को लागू होने वाले कर यथा वैट, टीसीएस आदि की राशि का भुगतान करना होगा।

27. इच्छुक निविदाकर्ता उपर्युक्त शर्तों एवं निबंधनों तथा मानक करार की विषयवस्तु को विस्तारपूर्वक पढ़ लें और केवल ऐसे निविदाकर्ता ही निविदा प्रस्तुत करें जो करार की सभी शर्तों एवं निबंधनों को पूरा करने के इच्छुक हों।

मैं/हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं हेतु सामान्य निर्देशों तथा विशेष शर्तों और मानक करार की विषयवस्तु को पढ़ लिया और समझ लिया है तथा उसे स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर_________________________

पता______________________________________

मुहर का स्थान:

दिनांक:

साक्ष्य:

1. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

बयाना राशि के बदले प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी का फॉर्मेट
(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत की जाए।)

यह गारंटी विलेख -------- तारीख-------माह--------वर्ष दो हजार पन्द्रह को ----------------------------- (बैंकर का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय-------------(स्थान) में है तथा जिसका स्थानीय कार्यालय-------(जिसे अब “जामिन” कहा जाएगा) में है, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित निगमित निकाय भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001, भारत (जिसे अब “बैंक” कहा जाएगा) पर स्थित केंद्रीय कार्यालय भवन में है, के बीच किया गया है।

चूंकि, ______________________________________ (निविदाकर्ता का नाम जिसे अब “निविदाकर्ता” कहा जाएगा), एक कंपनी/साझीदारी फर्म/स्वत्वाधिकारी/हिंदू अविभाजित परिवार है तथा यह ----------- के तहत पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ------------- में है एवं ------------, लखनऊ में भी एक कार्यालय है, को 16 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि तक श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेटों (संपीडित गंदे नोटों)/श्रेडों के निपटानसे संबंधित अपनी निविदा के लिए बैंक के पास ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) बयाना राशि के रूप में जमा करने हैं।

चूंकि निविदाकर्ता ने बयाना राशि के बदले----------तक वैध बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने का विकल्प चुना है।

अब साक्ष्य है:-

1. उक्त निविदा के संबंध में निविदाकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत इस गारंटी विलेख (जिसे निविदाकर्ता को बयाना राशि के बदले बैंक के पास जमा करना अपेक्षित होता है) को बैंक द्वारा प्रस्तुत करने पर मांग की तारीख के तीन दिन के अंदर बैंक को बिना कोई आपत्ति दर्ज़ कराए ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) की उक्त राशि की बिना शर्त अप्रतिसंहरणीय भुगतान की जामिन गारंटी लेता है।

2. यह गारंटी निविदाकर्ता की किसी अशक्तता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जामिन के गठन के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

3. अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात यदि निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव रद्द करता है या शर्तों में ऐसे परिवर्तन करता है जो कि बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं या जब बैंक निविदा के तहत उसे कार्य देने का निर्णय कर ले तब इस आदेश को स्वीकार करने में अनिच्छा दर्शाए तो बैंक इस गारंटी के तरत दावा करने का पात्र होगा।

4. बैंक की लिखित पूर्वानुमिति के बिना जामिन इस गारंटी को वैधता अवधि के दौरान प्रतिसंहरित नहीं कर सकता है।

5. पूर्ववर्ती तथ्यों में निहित होने के बावजूद इस गारंटी के तहत जामिन की देयता रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) तक ही सीमित है।

6. यह गारंटी -------- तक प्रभावी एवं लागू रहेगी तथा बैंक द्वारा जामिन को लिखित रूप से सूचित करने पर ही यह समाप्त एवं निष्प्रभावी होगी एवं इस स्थिति में ही यह गारंटी खत्म मानी जाएगी।

7. बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के अनुसरण में जामिन को भुगतान करना होगा चाहे भले ही निविदाकर्ता एवं बैंक के बीच या निविदा की किसी शर्त को लागू करवाने में बैंक पर कोई विवाद हो या उत्पन्न हुआ हो या निविदाकर्ता पर बैंक की कोई अनुकंपा दिखे पर इससे किसी भी तरह इस गारंटी के तहत जामिन अपनी देयता से मुक्त नहीं होगा एवं इस गारंटी के तहत जामिन केवल तभी मुक्त होगा जब बैंक द्वारा जामिन को इसकी सूचना दी जाए।

9. पूर्ववर्ती तथ्यों में निहित होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत अगर .... या इससे पहले जामिन से लिखित रूप से कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात इस गारंटी के तहत जामिन समस्त देयताओं से मुक्त हो जाएगा।

10. अपनी संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम के अनुसार जामिन को यह गारंटी जारी करने का अधिकार है तथा इस विलेख का निष्पादन करने वाले व्यक्ति के पास जामिन द्वारा प्रदत्त मुख्तारनामे के तहत ऐसा करने के आवश्यक अधिकार हैं।

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्दगी

कृते

कृते उक्त बैंक. .... (जारीकर्ता बैंक का नाम तथा मुहर)

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुहर

अनुलग्नक II

जमानत राशि हेतु बैंक गारंटी का फॉर्म

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत की जाए।)

नं. _____________ तारीख ___________

सेवा में:-

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ

महोदय,

आपके साथ श्रेडेड करेंसी नोट ब्रिकेट (संपीडित गंदे नोट)/श्रेड के ठेके के संबंध में मैसर्स - ____________________ (जिन्हें अब "ठेकेदार" कहा जाएगा) द्वारा प्रस्तुत उनकी ----- की निविदा के अनुसार एवं निविदा तथा इससे संबंधित निविदा के अन्य दस्तावेजों की शर्तों, जो कि _________ के आपके ठेका करार की आपसी सहमति से बनी शर्तों या संशोधनों में उल्लिखित या संदर्भित शर्तों के अधीन है, के तहत आपने रु.50,000/- (रु.पचास हजार मात्र) की जमानत राशि स्वीकार करने की सहमति दी है एवं इसमें उल्लिखित तरीके से उन्होंने हमसे गारंटी देने को कहा है, हम _____________ (बैंक का नाम) समय समय पर आपको रु.50,000/- (रु.पचास हजार मात्र) तक उक्त ठेका करार में निहित किसी भी शर्त के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन या उल्लंघनों हुई या होने वाली हानि या नुकसान और कथित ठेका करार के तहत किसी भी कार्य को करने में या इसमें निहित

वास्तविक आशय या अर्थ की शर्तों के पालन या निष्पादन में ठेकेदार द्वारा चूक या चूकें करने के प्रति आपको रक्षित रखेंगे, ठेकेदार की किसी चूक के कारण आपको हुई हानि एवं/या नुकसान, मूल्य, प्रभार या व्यय के कारण आपके द्वारा दावा की गई ऐसी राशि या अधिकतम रु.50,000/- (रु.पचास हजार मात्र) तक की राशि का भुगतान हम आपकी मांग पर करेंगे।

2. कुछ भी प्रतिकूल होने पर भी, आपका इस संबंध में निर्णय, कि ठेकेदार ने ऐसी कोई चूक या चूकें की हैं एवं इस वजह से आप राशि या राशियों की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, हमारे लिए बाध्यकारी होगा एवं हम इस गारंटी के तहत आपसे दावा या दावे की प्रमाणिकता पूछने के पात्र नहीं होंगे अपितु बिना किसी प्रतिवाद या आपत्ति के आपकी मांग पर इसका भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक वैध रहेगी जब इस ठेका करार की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त हो जाए एवं इस ठेका करार के तहत ठेकेदार ने अपनी सारी बाध्यताएं पूरी कर दी हों एवं इस ठेका करार के तहत कार्य पूरा करने का प्रमाणपत्र तथा “अदेयता प्रमाणपत्र” प्रस्तुत कर दिया हो, बशर्ते यह गारंटी कुछ भी न होने की स्थिति में भी -------- तारीख के बाद भी आपके दावे या उत्पन्न होने वाले दावे या मांग या अन्यथा पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, उक्त तारीख, जिससे हमारे विरुद्ध यह अन्य बातों के होते हुए भी यह उस तारीख से प्रभावी होगी, हमें इस तारीख से छह महीने खत्म होने से पूर्व लिखित रूप से सूचित करने तक रहेगी।

4. अगर किसी कारणवश इस गारंटी की अवधि को बढ़ाना आवश्यक हुआ तो आपकी अपेक्षानुसार इस गारंटी की अवधि को उतने समय तक बढ़ा देंगे जितने समय तक आप चाहेंगे। इस बारे में आपका निर्णय हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. इस गारंटी को प्रभावित किए बिना आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि कथित ठेके की शर्तों को परिवर्तित कर सकते हैं या ठेकेदार के निष्पादन के समय को बढ़ा सकते हैं या ठेकेदार के प्रति आपके अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय या समय-समय पर आगे बढ़ा सकते हैं या उक्त

मामलों के संबंध में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए या किसी समय ठेकेदार के किसी कारण या अन्य किसी नम्रता, गतिविधि या आपकी किसी चूक या ठेकेदार को आपके किसी अनुग्रह या कथित ठेके में किसी परिवर्तन या संशोधन या अन्य कोई गतिविधि, मामला या कार्य जो कि जामिन से संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार हमें हमारी देयता जारी करने पर प्रभावित करे बशर्ते इससे हमारी देयता निहित उक्त रु.50,000/- (रु.पचास हजार मात्र) से ज्यादा न बढ़े।

6. आपके द्वारा ठेकेदार से किसी प्रतिभूति लेने या परिवर्तित करने या छोड़ने या अन्य किसी व्यक्ति, फर्म या इसकी ओर से किसी कंपनी या समापन, विलय या ठेकेदार के दिवालिया या मृत होने के कारण यह गारंटी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

7. यहां उल्लिखित गारंटी को पूर्णत: प्रभावी बनाने के लिए आप यह मानने के पात्र होंगे कि ठेकेदार के प्रति आपके दावों, जिनकी हमने गारंटी दी है, के लिए हम आपके मुख्य कर्जदार के रूप में कार्य करेंगे एवं हम जमानतदारी तथा अपने अन्य सभी उन अधिकारों को खत्म करेंगे जो गारंटी के प्रावधानों से असंगत है।

8. पूर्ववर्णित हमारी देयता की अधिकतम सीमा के तहत, इस ठेके के कारण या संबंध में ठेकेदार के प्रति आपके दावों को यह गारंटी कवर करेगी तथा इस बारे में आपके दावे इस गारंटी के खत्म होने की तारीख के छह महीने पहले हमारे पास लिखित रूप में दर्ज़ होने चाहिए।

9. किसी भी मांग या यहां उल्लिखित अन्यथा का नोटिस विशेष कुरियर, टेलेक्स, फैक्स, इलैक्ट्रॉनिक मेल या हमारे उक्त स्थानीय पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाए एवं यदि यह डाक से भेजा गया है तो डाक में डालने की तारीख से ही इसे दिया हुआ समझा जाएगा।

10. यह गारंटी एवं इसमें निहित शक्तियां तथा प्रावधान आप द्वारा हमें (चाहे अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) अब तक प्रदत्त एवं जो अब तक बिना निरस्त हुए अस्तित्व में हैं ऐसी किसी अन्य गारंटी एवं तक सीमित या स्थानापन्न नहीं होंगी एवं यह गारंटी ऐसी किसी गारंटी या गारंटियों से प्रतिसंहरित या सीमित नहीं होगी।

11. ठेकेदार या हमारे संघटन में किसी भी तरह के परिर्वतन से, न ही आपके संघटन में किसी भी तरह के परिर्वतन या समामेलन या समावेश के कारण किसी तरह से इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा अपितु यह सुनिश्चित होगा कि इसके लाभ समामेलन या समावेश करनी वाली कंपनी या संस्था को भी उपलब्ध रहेंगे।

12. इस निविदा की किसी भी शर्तों को लागू करने में बैंक की कोई रियायत, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक के अनुग्रह दर्शाने से किसी भी तरह से जामिन को दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी एवं इस गारंटी के तहत जामिन को दायित्व से मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब बैंक लिखित रूप से सूचित करे।

13. अपनी अवधि के दौरान यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय है तथा लिखित रूप से पूर्व सहमति के बिना इसे प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता है।

14. इसके अलावा हम इस पर भी सहमत हैं एवं वचन देते हैं कि आपके द्वारा लिखित रूप से मांगे जाने पर इस तथ्य के होते हुए भी हम आपको बिना प्रतिवाद के राशि का भुगतान बिना किसी विलंब के करेंगे कि आपके एवं ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के बीच कोई अंतर या मतभेद या विवाद है।

15. उपर्युक्त में कुछ होते हुए भी इस गारंटी के तहत हमारी देयता **रु.**50,000/- (**रु.**पचास हजार मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की मूल अवधि समाप्त होने के छह माह के या विस्तारित अवधि के अंदर अगर लिखित रूप से कोई भुगतान का कोई दावा नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त समझे जाएंगे एवं इसके तहत हम अपने दायित्व से मुक्त समझे जाएंगे चाहे भले ही मूल गारंटी हमें लौटाई जाए या ना लौटाई जाए।

16. अपने बैंक के अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों के तहत हमें यह गारंटी जारी करने की शक्ति हासिल है एवं बैंक (बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में प्रदत्त मुख्तारनामे के तहत अधोहस्ताक्षरी यह गारंटी विलेख निष्पादित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है।

हस्ताक्षर एवं सुपुर्द

(उक्त नामित बैंक के लिए एवं पक्ष में)

के लिए एवं पक्ष में

(बैंकर का नाम एवं मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता:-